

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथि/परिषद/सम्बद्धता/2020/1071

संख्या: दिनांक 15-8-2020

-कार्यालय आग-

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मली कानूनियर और इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14-8-2020 को जारी की गई संख्याओं के अनुसार प्रदान किए जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अधिकांश से परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु आवंटित नई संख्याओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संख्याओं को सम्बद्धता विभाग/पर्यवेक्षण/प्रवेश दस्तावेज बुकिंग सहित अन्य सभी पर विचार किया हुए। वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

एला है अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक है सं-3 में दिल्ली में इन सारंगी पर्यवेक्षण संख्याओं को जारी पूर्व से सम्बद्ध संख्याओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पत्र दिनांक-विषय पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

निजी क्षेत्र में सम्बद्धता विभाग इन फार्मली पर्यवेक्षण संख्याओं को जारी करवाए, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से पूर्व से सम्बद्ध है, एवं वर्ष 2020-21 हेतु पीपीआईआई द्वारा जारी संख्याएं अनुक्रमित विभाग प्रदान किया गया है। इन संख्याओं में पीपीआईआई द्वारा प्रदान किये गये अनुक्रमित विभाग के अनुसार प्रदान किए जाने के समुदाय बकिंग पर्यवेक्षण/प्रवेश दस्तावेज की संख्या वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने पर सचिव द्वारा निम्न-विषयों किया गया एवं सर्वसम्मति से पीपीआईआई द्वारा प्रदान अनुक्रमित विभाग के अनुक्रम में वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विभाग दिए जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित वर्गों के वर्गीकृत पर्यवेक्षण पर उसमें अतिरिक्त प्रवेश संख्या हेतु सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	वर्ग सं.	वर्गों का नाम	पर्यवेक्षण का नाम	पीपीआईआई द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुक्रमित प्रवेश संख्या	पीपीआईआई/परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुक्रमित प्रवेश संख्या
1	अक्षा	एनएस इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मली, इन्स्टीट्यूट-1, नई दिल्ली।	विद्यार्थी इन वर्गीकृत	40	40

सम्बद्धता हेतु नोट

- ✓ तत्प्रा पीपीआईआई/पीपीआईआई द्वारा निर्धारित की गयी वर्गों का पूर्णतः पालन करेंगे।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई प्राथमिक शिक्षा परिषद विभाग/प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई संख्याओं के अनुसार प्रदान किये जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अधिकांश से परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु आवंटित नई संख्याओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संख्याओं को सम्बद्धता विभाग/पर्यवेक्षण/प्रवेश दस्तावेज बुकिंग सहित अन्य सभी पर विचार किया हुआ है। वर्ष 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(Handwritten signature)

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

सम्बद्धता दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय उद्यमोन्मी क शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यान्वित ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय उद्यमोन्मी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सत्रों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4826-APEX INSTITUTE OF PHARMACY, APEX PARAMEDICAL INSTITUTE NH 07 MIRZAPUR VARANASI ROAD SAMASPUR CHUNAR, MIRZAPUR			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एपेअआईपीसीपीआईपीसीआईपी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एपेअआईपीसीपीआईपीसीआईपी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसंख्या 1982, विनियमसंख्या-2006, सेक्टर विनियमसंख्या-2016 तथा संसद संसद पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शून्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शून्य लेवल उर्ध्वत इन्टी पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 30150 00/- प्रतिवर्ष की उर्ध्वत कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु सत्र 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो उर्ध्वत पाठ्यक्रमों (दो उर्ध्वत कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सत्र 22500 00/- प्रतिवर्ष शून्य की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उद्यमोन्मी संस्था के शून्य के समतल समतल पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शून्य निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु शून्य का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शून्य की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समतल समतल पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शून्य जमा करना होगा।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विनियमसंख्या/अधिनियम/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा 1982, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 1982 द्वारा बतलाने गये नियमों, विनियमों, अधिसूचियों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। ज्योतिषिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, ज्योतिषिक शिक्षा निदेशालय एवं ज्योतिषिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के किराड़े परदि कोई कार्य समस्त किया जाता है तथा प्रायः उक्त के संबंध में या स्वायत्तता प्राप्त किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं की समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सहकारिता द्वारा प्रवेश वर्ष प्रवेश हेतु अधीनस्थ काउन्सिलिंग कार्य होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उक्त प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीईई प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त समय पर तिर्ना। ज्योतिषिक आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट या संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सार्व-सत्ता, उपकरण आदि किया जाने वाला दस्ता, प्रमाणपत्र दस्ता आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-नियंत्रण हेतु उपयुक्त वित्तधरण उपलब्ध कराने के साथ वैशेषी रखने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित, सहायित वातावरण को उत्तरे उत्तरे हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भू-मि.भवन, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वातावरण के संघटन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की कुनकी उत्तरदायी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की संबद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, परीक्षाशाला, उपकरण एवं अन्य सार्व-सत्ता ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकादेशानुसार उपलब्ध नहीं गया उक्त है तो संस्था की संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ संबद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अपेक्षा शर्तों का उत्तरदायन किये जाने की स्थिति में विधानानुसार अनुपातानुसार कार्यवाही की जाएगी।



(एफ0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 खान)

सचिव

पू0सं0- प्राथमिक-परिषद-सम्बद्धता/2022/7818-0466

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठान:-

प्राथमिक-परिषद/APEX INSTITUTE OF PHARMACY, APEX PARAMEDICAL INSTITUTE NH 07
MIRZAPUR VARANASI ROAD SAMASPUR CHUNAR, MIRZAPUR



(एफ0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 खान)

सचिव

